न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

टाईटल अपील वाद सं0–01/2016–17

मंटू हाजरा
बनाम
शिव प्रसाद बगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद, अपीलकर्त्ता मंटू हाजरा, पिता–स्व0 हरिबोल हाजरा, सा0–अलीगंज, थाना–पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के टाईटल सुट सं0–11/2000–01 में दिनांक–28.05.2014 को पारित आदेश एवं डिग्री के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में (1) शिव प्रसाद, पिता–राम रंजन, सा0–कमलपुर, थाना–रतना, जिला–मालदा (प0बं0), वर्त्तमान पता–सा0–अलीगंज, थाना–पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड़ (2) कैलाश हाजरा, पिता–स्व0 बैजू हाजरा (3) तुकमुनी देवी, पिता–स्व0 बैजु हाजरा दोनो का सा0–अलीगंज, थाना–पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड एवं (4) सपन हाजरा, पिता–स्व0 कालीपदो हाजरा, सा0–बोलपुर, थाना–बोलपुर, जिला बीरभूम (प0बं0) को बनाया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा–अलीगंज सं0–81 के जमाबंदी सं0–57 के दाग सं0–260 अन्तर्गत रकवा 02–16–17 धुर एवं दाग सं0–272 अन्तर्गत रकवा 00–05–09 धुर कुल रकवा 03–02–06 धुर जमीन के स्वत्व निर्धारण हेतु इस वाद के अपीलकर्त्ता मंटू हाजरा के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक–28.05.2014 को पारित आदेश द्वारा आवेदन (मंटू हाजरा) के आवेदन को खारिज किया गया। यह अपील निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

बहस के दौरान उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह वाद 500/– रूपये से अधिक राशि का है। 500/– रूपये से अधिक मूल्य वाले सूट की सुनवाई हेतु अनुमंडल दण्डाधिकारी सक्षम नही है।

अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया कि Suit के Value को न्यायालय चुनौती नहीं दे सकती है। यह अपील माननीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, पाकुड़ के द्वारा Tilte Appeal no- 06/2014 में दिनांक–09.06.2016 को पारित आदेश के आलोक में किया गया है।

माननीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, पाकुड द्वारा पारित उक्त आदेश का

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में सूट के मूल्य के संबंध में कोई आदेश पारित नही है, केवल यह आदेश है कि संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 की धारा 17 के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं डिग्री के विरूद्ध प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में अपील दायर नही किया जा सकता है।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 की धारा 7 के अन्तर्गत संथाल परगना में सिविल वाद के विचारण के लिए जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है तथा धारा–12 के अन्तर्गत आयुक्त, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी एवं उप समाहर्त्ता के न्यायासलय का उल्लेख किया गया है। धारा–9 के अनुसार अवर न्यायाधीश उसी वाद का विचारण करेंगे, जिसके विषय वस्तु का मूल्य पॉच सौ रूपये से ऊपर होगा तथा धारा–14 के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी उस वाद का विचारण करेंगे, जिसके विषय वस्तु का मूल्य 500 या 500 रूपये से कम होगा। संथाल सिविल रूल के नियम 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करेगा तथा उक्त संथाल सिविल रूल्स के नियम 3(b) के अनुसार वाद पत्र में अंकित सम्पत्ति का मूल्य प्रथम अनुसूची के अनुसार होगा।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय को 500/– रूपये से अधिक मूल्य के वाद का विचारण करने की शक्ति नहीं है। प्रश्नगत वाद का मूल्य 3000/– रूपये अंकित है। 500/– रूपये से अधिक मूल्य के वाद के अपील को सुनने की शक्ति इस न्यायालय को भी नही है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिग्री को निरस्त (Set-aside) किया जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 17:57:21 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Scanned with CamScanner